Witness No. ....02..... for .....अभियोजन साक्षी ..... deposition taken the 24.04.2023 day of सोमवार Witness's apparent age 50 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक My name is जय राम अगरिया ..... S/ of .....श्री मनराज अगरिया.....occupation ..... मजदूरी ..... address. ग्राम- बेलगोहनी, थाना-गौरेला पेण्ड्रा, जिला- गौरेला पेण्ड्रा (छ०ग०)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राकेश जायसवाल, ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन।

01/ अभियुक्त कमलेश अगरिया को पहचानता हूं, वह मेरा दामाद है। मृतिका कमला बाई मेरी बेटी है। मेरी बेटी की शादी अभियुक्त कमलेश अगरिया के साथ आज से लगभग 15-16 वर्ष पूर्व हुयी थी, उनके 2 लड़का एवं 1 लकड़ी है।

02/ अभियुक्त कमलेश अगरिया मेरी बेटी के साथ शादी होने के एक वर्ष बाद से मारपीट करते रहा। वह शराब और गांजा पीकर मारपीट करता था। अभियुक्त कमलेश अगरिया आज से 11 वर्ष पूर्व मृतिका मेरी पुत्री कमला बाई को मेरे घर में जहां पर अंगेठी जल रही थी, उस आग में धकेल दिया था, जिसमें मृतिका का कपड़ा जल गया था, उसके पश्चात गांव में बैठक कराकर मैं अपनी पुत्री कमला बाई को अभियुक्त के साथ भेज दिया था। उसके एक-दो साल पश्चात अभियुक्त मेरी पुत्री कमला बाई को दारू पीकर मारपीट करता था, तब मेरी पुत्री मृतिका को मेरे घर भेज दिया था। उसके पश्चात अभियुक्त मेरे से रूपया पैसा 20,000/- रूपये मांगता था, तब मैंने मेरे पास रूपया पैसा नहीं हैं, बोला तो वह सिलाई मशीन ले दिजिए बोला तो सिलाई मशीन लेकर दिया था।

03/ अभियुक्त तीसरे बाद 4-5 साल बाद पुनः मारपीट कर अपने घर से भगा दिया था, तब पंच सरपंच को बुलाकर, बैठक कराकर वापस भेजा था, उसके पश्चात 4-5 माह पश्चात पुनः मारपीट कर

मेरे घर से भगा दिया था, तब मेरी पुत्री मृतिका मेरे घर आयी थी। मैं अपने गांव के सरपंच भरथरी, विष्णु राठौर, मेरी पत्नी मुन्नी बाई, मेरा पुत्र कृष्ण कुमार एवं संजू पंच एवं नरेश पंच को लेकर अभियुक्त के गांव ढेलवा बैठक कराने के लिए ले गया था। उक्त बैठक मेरी पुत्री मृतिका के मृत्यु के एक माह पूर्व हुयी थी। बैठक में अभियुक्त कमलेश अगरिया एवं उसके परिवार वाले मेरी पुत्री को रखने से मना कर दिये, तो मैं अपनी पुत्री को अपने घर वापस लेकर चला गया। बैठक होने के एक सप्ताह पश्चात अभियुक्त कमलेश अगरिया ग्राम खर्डी के सरपंच थान सिंह, मंगल को लेकर मेरे घर कमला बाई को लेने गया था, तब मैं गांव में बैठक कराकर मेरी पुत्री को कमलेश के साथ उसके घर भेज दिया था।

04/ पिछले वर्ष आषाढ़ के महिने में मेरी नातिन देवकी फोन करके शाम 4.00 बजे बतायी कि हथौड़ा में मेरी पुत्री कमला बाई को मार दिया है, जिससे मृतिका कमला बाई की मृत्यु हो चुकी है। मैं उसी शाम को मेरी पुत्री मृतिका कमला बाई के घर पहुंचा तो कमलेश अगरिया के घर के परछी में मृत पड़ी हुयी थी, जिसके चेहरे, सिर एवं गला में और छाती में चोट लगी थी, जिसे लोढ़ा से मारकर चोट पहुंचाया था।

05/ मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी पुत्री को किस कारण से मार दिया।

इसी स्तर पर ए०पी०पी० श्री राकेश जायसवाल के द्वारा साक्षी को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति चाहा। विचार बाद प्रकरण का अवलोकन कर अनुमति दी जाती है।

06/ मुझे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त कमलेश मेरी बेटी मृतिका से गांव का कार्तिक राम उरांव नाम के लड़के से अवैध संबंध होने के कारण शक करता था। मैंने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी०-02 में नहीं बताया था कि कमला बाई व ग्राम खर्री के कार्तिक उरांव एक ही खाट में संदिग्ध हालत में

मिले थे, कार्तिक राम भाग गया, जिसे दूर तक दौड़ाया था, लेकिन नहीं मिला, फिर वापस आकर कमलेश अपनी पत्नी मृतिका कमला बाई को लोहे के हथौड़े से प्राण घातक हमला कर सिर व चेहरा में गंभीर चोट पहुंचाया तथा मेरा दामाद मेरी बेटी के चरित्र पर शंका कर लोहे के हथौड़ा से उसके सिर एवं चेहरा पर मारकर उसकी हत्या कर दिया। साक्षी स्वतः कहता है कि बाड़ी के तरफ से आकर मेरी बेटी को हथौड़े से मारा था।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अशोक ताम्रकार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त//

07/ मैं कार्तिक उरांव को नहीं जानता हूं। यह कहना गलत है कि कार्तिक उरांव और मेरी पुत्री का अवैध संबंध था। स्वतः कहता है कि मेरी पुत्री 10 वीं पास थी। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को पुलिस कथन प्रदर्श पी०-02 अनुसार ऐसा यह बताया था कि दिनांक 15.06.2022 को जब मैं ग्राम के सरपंच और पंचों को लेकर ग्राम ढेलवा जाकर बैठक किया, तब उस बैठक में दामाद से यह मालूम हुआ था कि मृतिका कमला बाई का ग्राम खर्री के कार्तिक उरांव नाम के लड़के से अवैध संबंध है, कई बार मना करने के बाद भी वह मानती नहीं है और लड़की से पूछने पर उसने कार्तिक के साथ संबंध होने से मना किया था।

08/ यह कहना गलत है कि मेरी नातिन देवकी ने केवल इतना बतायी थी कि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गयी है। स्वतः कहता है कि मेरी नातिन बतायी थी कि उसके पापा, मम्मी को हथौड़े से मार दिया है तथा मेरी नातिन जैसे ही स्कूल से घर पहुंची, तब अभियुक्त कमलेश अगरिया कमला बाई को मारकर घर से निकल रहा था। मैं उमेंद सिंह को जानता हूं, वह मेरा समधी है। यह कहना गलत है कि जब मैं ग्राम ढेलवा आया, तब मेरे समधी उमेंद सिंह ने बताया कि कार्तिक राम मृतिका कमला बाई से घर आकर अवैध संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, तब कमला बाई ने बोली कि वह अवैध संबंध नहीं बनाएगी,

इसी बात पर दोनों का विवाद होने लगा तथा उसकी बहू जोर से आवाज दी, तब वह दौड़कर आया, तब परछी में कार्तिक राम उसकी बहू को मारकर भग रहा था। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को कमलेश अगरिया वेंकेटनगर गांव चन्द्रप्रीतम भैना के घर सुबह 8.00 बजे छट्ठी कार्यक्रम में गया था, वह घर में नहीं था। यह कहना गलत है कि वह भैना के घर बजरू के साथ गया था। यह कहना गलत है कि मृतिका की मृत्यु की सूचना आरोपी के भाई के द्वारा आरोपी को दिये जाने पर वह शाम 5.00 बजे वेंकेटनगर गांव से घर पहुंचा था। यह कहना सही है कि आरोपी के भाई का नाम दुर्गेश है।

09/ यह कहना सही है कि मृतिका के उसके ससुराल जाने पर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एवं चौथी बार आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा विवाद किये जाने की पुलिस रिपोर्ट मैंने नहीं की है। यह कहना गलत है कि मैं चारों बार मारपीट किये जाने वाली बात पुलिस को नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मैं मेरी पुत्री को मारते हुए स्वयं नहीं देखा हूं। मैं घटना के बाद दिन डुबने के समय घटनास्थल पर पहुंच गया था। यह कहना सही है कि उस समय तक पुलिस आ गयी थी। यह कहना गलत है कि मेरे पहुंचने के पहले पुलिस द्वारा पूरी कार्यवाही कर लिया गया था। स्वतः कहा मेरे पहुंचने के बाद दूसरे दिन पुलिस कार्यवाही किया था। यह कहना गलत है कि मैं, मेरी पुत्री की मृत्यु हुयी है, इस कारण आरोपी को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हूं।

साक्षी का पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/-
जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

मेरे कहने पर टंकण किया गया।

सही/-
जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)